

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर(राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरडक, आर०ए०एस०

अपील संख्या 46/2020

1- मोहन लाल पुत्र चौथुराम, जाति कुम्हार, जाति कुम्हार, निवासी मीण्डा, तहसील
नांवा जिला नागौर

.....अपीलान्त

बनाम

1-नायब तहसीलदार, नावां तहसील नावां जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री रणजीत बलारा अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।

अपील विरुद्ध नायब तहसीलदार नांवा के आदेश व निर्णय दिनांक
17.08.2020 को निरस्त करने बाबत।


अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:06.04.21

{1} -यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत
नायब तहसीलदार नांवा के प्रकरण सं० 68/2019 बअनुवान पटवारी हल्का मिण्डा
बनाम मोहन लाल में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2020 के विरुद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मिण्डा ने
अपीलान्त/अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार नांवा को रिपोर्ट पेश कर
निवेदन किया कि अपीलान्त/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम मिण्डा के खसरा नम्बर 794
रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै०मु० गौचर भूमि पर कब्जा कर पक्का मकान बनाकर
राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से



JL
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त/अप्रार्थी द्वारा मौजा मिण्डा के खसरा नम्बर 794 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गैर मु0 गौचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा मिण्डा के खसरा नम्बर 794 रकबा 0.05 हैक्टेयर गैर मुमकिन गौचर से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रुपये 90/- अक्षरे नब्बे रुपये कायम किया गया। अतः प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त/अप्रार्थी को खसरा नं0 794 किस्म गै0मु0गौचर भूमि रकबा 0.05 बीघा भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील दिनांक 03.09.20 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्त की अपील को दिनांक 11.09.20 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2021/961 दिनांक 30.09.2020 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

{3} -वकील अपीलान्त की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्त ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:-

{3}(1)-यह है अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर दिये व बिना किसी साक्ष्य व शहादत के व बिना पटवारी व राजस्व निरीक्षक




kl
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर

के बयान हुये बिना ही बाला बाला ही निर्णय व आदेश पारित कर दिया, जो आदेश व निर्णय प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मुतनाजा जायगा बाबत पअवारी हल्का व राजस्व निरिक्षक से मौके की रिपोर्ट ही नहीं मंगवायी, अगर रिपोर्ट आती और उनके द्वारा बताये गये पड़ौस से सही स्थिति सामने आती, लेकिन पटवारी हल्का ने तो मात्र खसरा संख्या 794 रकबा 0.05 हैक्टेयर पर अतिक्रमण होना बताकर ईतिश्री कर ली, जिसके कारण यह भी पता नहीं लग रहा है कि अपीलान्त के घर में बने हुये मकानों में से किस मकान व दिवार को अतिक्रमण माना है ताकी इतना भी नहीं पटवारी ने मकान व दिवार की लम्बाई चौड़ाई का भी कोई उल्लेख नहीं किया है जबकि खसरा संख्या 794 बहुत बड़ा रकबा है, जिसमें पड़ौस के जरिये व नाप चौक के जरिये अतिक्रमण की जगह का खुलासा करना जरूरी है इस प्रकार की अस्पष्ट व अधुरी रिपोर्ट/जानकारी की और ध्यान दिये बिना ही अदालत मातहत ने आदेश व निर्णय पारित करने में बड़ी भारी भूल की है। अतः आदेश व निर्णय निरस्त किया जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि अपीलार्थी बी० पी० एल० श्रेणी का गरीब व्यक्ति है, जो मजदुरी कर के अपना पेट पालता है तथा उसके नाम से खसरा संख्या 794 में 1350 वर्ग फुट भूमि का पटटा दिनांक 31.12.2001 को तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मीण्डा द्वारा दिया जाकर मौके पर कब्जा संभलाया था, क्योंकि पटटा दिया जाने वाली जगह पर अपीलार्थी व उसका परिवार पिछले 50 वर्षों से कच्चे मकान, छान छपरा बनाकर रहता था, जिसके कारण उसके लम्बे कब्जे के आधार पर दिनांक 31.12.2001 को पंचायत द्वारा बाद जाँच नियमानुसार पटटा जारी किया था। जिसमें से कच्चे छान छपर व कच्चे निर्माण को तोड़कर आज से 25 वर्षों पूर्व पक्के मकान बना लिये, तथा खाली जगह में एक कमरा व दिवार का भी निर्माण बाद में करवा लिया। अपीलान्त ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। बल्कि अपने कब्जा सुद व पटटा सुद जमीन में ही विधिवत रूप से निर्माण करके सपरिवार




[Handwritten Signature]
व्यक्तिगत निवासी कलकत्ता
दिल्ली

निवास कर रहा है। अपीलान्ट के पटटे व उसमें बने मकानों के पड़ौस पटटे में इस प्रकार दर्शाये है, उत्तर में :- वाटर वर्क्स का कमरा, दक्षिण में:-आम रास्ता, पूर्व में :-मागुराम रेगर, पश्चिम में:- आम रास्ता, पटवारी हल्का ने इसी भूमि में अतिक्रमण होना बताया है। ऐसी स्थिति में पुराना कब्जा सुद व पटटा सुद भूमि का पटटा आज तक अवैध करार नहीं दिया गया है तथा आज भी अपीलान्ट को जारी पटटा अस्तीत्व में है ऐसी स्थिति में इस जायगा में किस पड़ौस के बिच की भूमि व किस लम्बाई चौड़ाई का अतिक्रमण किया है, ऐसा न तो पटवारी की रिपोर्ट में है। और न अदालत मातहत ने मौके की रिपोर्ट मंगवायी है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलान्ट को गांव की पार्टी बाजी के आधार पर झूठा अतिक्रमण बताकर यह झुठी रिपोर्ट पेश की है इन तथ्यों की ओर ध्यान दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया, जो आदेश व निर्णय निरस्त योग्य है।

{3}(4) - यह है कि अपीलान्ट द्वारा बने मकानों में आज से करीब 15 वर्ष पूर्व से विद्युत कनेक्शन है तथा पानी का भी कनेक्शन है, इतना ही नहीं मूल सिंह तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मीण्डा ने वर्ष 1991 में अपीलान्ट के काबिज होने बाबत प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है तथा दिनांक 20.03.2002 को भी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मीण्डा ने अपने प्रमाण पत्र उल्लेख किया है कि अपीलान्ट उक्त जायगा में मकान बनाकर कर रहा है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलान्ट पुराना काबिज है तथा पंचायत द्वारा विधिवत रूप से दिये गये पटटा की भूमि में निर्मित मकानों में अबाध रूप से सपरिवार निवास कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विरुद्ध कोई अतिक्रमण का केस बनना नहीं पाया जाता है। उक्त गंभीर तथ्यों की ओर ध्यान दिये बिना ही योग्य अदालत मातहत ने आदेश व निर्णय पारित कर दिया जो आदेश अपास्त किया जाने योग्य है।

{3}(5) - यह है कि अपीलान्ट को रेस्पोंडेंट द्वारा दिये गये नोटिस दिनांक 05.03.2020 में खसरा संख्या 794 में 0.05 हैक्टेयर पर अतिक्रमण का उल्लेख है, जबकि रेस्पोंडेंट नायब तहसीलदार नांवा द्वारा पटवारी व राजस्व निरीक्षक को भेजे पत्र में खसरा संख्या 793 रकबा 0.05 हैक्टेयर से अपीलान्ट को भौतिक रूप से वेदखल




अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जहानाबाद


करने का दिनांक 11.8.2020 को आदेश दिया है। जबकि योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्ट के विरुद्ध आदेश व निर्णय दिनांक 17.8.2020 को दिया है। उससे पहले ही दिनांक 11.8.2020 को पटवारी व आर. आई. को भौतिक रूप से अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश दे दिया। अर्थात् निर्णय से पहले ही भौतिक रूप से बेदखल का आदेश जारी कर दिया। जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि अदालत मातहत ने राजनैतिक दबाव के कारण तुरन्त फुरन्त में बिना किसी साक्ष्य सबुत व बिना मौका रिपोर्ट व बिना समुचित सुनवाई का समुचित अवसर दिये विधि विरुद्ध निर्णय पारित कर दिया, जो आदेश व निर्णय स्पष्ट रूप से गैर कानूनी है। इस ओर ध्यान दिये बिना ही योग्य अदालत मातहत ने आदेश व निर्णय पारित कर दिया जो आदेश प्रथम दृष्टया ही खारीज योग्य हैं।

{3}(6)– यह है कि लायक अदालत मातहत के गत निर्णय की पालना हो गयी, तो यह बीलपीएल परिवार तबाह हो जायेगा, इनके मकान तोड़ दिये तो इनके बच्चे औरतो व खुद का कोई आसरा नहीं रहेगा। और इस गरीब अपीलान्ट को अजहद नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से संभव नहीं होगी लायक अदालत मातहत के आदेश व निर्णय पर अपास्त किया जाना बेहद जरूरी व कानून सम्मत है। अतः योग्य अदालत वाला ने भारी भूल की है। अतः आदेश व निर्णय खारीज योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बहस के अन्त में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नावां का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.08.2020को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।


{4} – अपील न्यायालय नायब तहसीलदार नावां के प्र०सं० 68/19 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 17.8.2020 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में 11.9.2020 को अपीलान्ट द्वारा पेश की गयी है जो अन्दर मियाद है।




अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर

{5} - बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का मिण्डा की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम मिण्डा के खसरा नम्बर 794 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै0 मु0 गौचर पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अपीलार्थी का नोटिस तामील सुदा प्राप्त तथा अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमावत ने अपना वकालतनामा पेश किया, तथा जवाब हेतु समय चाहा गया। अपीलार्थी/अपीलान्ट ने दिनांक 7.8.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलान्ट को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर देकर निर्णय किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 गौचर की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि में आती है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट/अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि उसका मकान पिछले 50 वर्षों काफी सालों से बना है, तथा उसमें विद्युत कनेक्शन आदि किये हुवे हैं। वर्तमान प्रकरण किसी आवंटन एवं नियमन के आदेश की अपील न होकर प्रकरण अतिक्रमण बेदखली का होने से इस पर विचार कर निर्णय लिया जाना है। अतिक्रमण करने से अपीलान्ट को कोई स्वत्व व अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के अधिकार हैं। धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचार समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। अगर कब्जा पुराना है तो अपीलान्ट को अलग से कार्यवाही करनी होगी। हस्तगत प्रकरण में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। भूमि गै0मु0 गौचर राजकीय भूमि है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का नियमन या आवंटन नहीं किया जा सकता है। गै0मु0गौचर भूमि प्रतिबन्धित है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली




KL
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जयपुर

का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।


:::: आदेश ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.08.2020 यथावत रखा जाता है।


(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)